सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनाक 11–11–2011 की कार्यवाही

उपस्थिति :

1. श्री अजय सिंह नबियाल — अध्यक्ष।
   आई0ए0एस0
   आयुक्त, गढ़वाल मंडल।

2. श्री विजेन्द्र भण्डारी, — सदस्य।
   05, गांधी चौक, मसूरी,
   जिला देहरादून।

3. श्री ईष्वर सिंह नेगी, — सदस्य।
   पुत्र श्री पूरन सिंह नेगी,
   ग्रा0 चरगाड़ पो0 गडिगांव
   जिला–पौड़ी।

4. श्रीमती सुनीता सिंह — पदेन सचिव।
   संभागीय परिवहन अधिकारी,
   देहरादून।

संकल्प सं0–01:–

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 09.03.11 की कार्यवाही की पुश्टि की जाती है।

संकल्प सं0–02:–

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित मद में उल्लिखित क्रमांक– प से पग तथा का अनुमोदन

किया जाता है।

संकल्प सं0–03:–

सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा क्रमांक–अ, ब, स तथा द पर जारी

अस्थाई/स्थाई परमिटों का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प सं0–04:–

मद सं0–4 में राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पर्वतीय मार्गो पर संचालित बसों के लिये निर्धारित मापदण्डों में किये गये संषोधन का अवलोकन किया गया। राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मापदण्डों को देहरादून सम्भाग के मार्गो पर लागू करने की अनुमति प्रदान की जाती है, तथा इसका गजट नोटिफिकेषन की कार्यवाही भी किये जाने के निर्देष दिये जाते है ।

1. **देहरादून–मसूरी मार्ग पर संचालित बसों हेतु पूर्व में निर्धारित व्हीलबेस 190 इंच के स्थान पर 195 इंच व्हीलबेस अनुमन्य किया जाता है।**
2. **उत्तराखण्ड के सभी सम्भागों के पर्वतीय मार्गो पर संचालित बसो की अधिकतम चौडाई 234 सेमी0 के स्थान पर 250 सेमी0 अनुमन्य की जाती है।**

3. **प्रदेष के सम्भाग के पर्वतीय मार्गो पर संचालित बसों के लिये पूर्व में ओवरहैंग 50 प्रतिषत निर्धारित है। पूर्व में निर्धारित ओवरहैंग 50 प्रतिषत के स्थान पर 60 प्रतिषत इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किया जाता है कि, वाहन स्वामी द्वारा मूल चैसिस में परिवर्तन नहीं किया जायेगा और इसके अतिरिक्त जोड लगाकर चैसिस को बढाकर 60 प्रतिषत नहीं किया जायेगा।**

संकल्प सं0–5:–

मद सं0–5 में राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा टूरिस्ट वाहनों के परमिट में अधिरोपित की जाने वाली षर्तो में किये गये संषोधनों का अवलोकन किया गया। राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निम्नलिखित षर्तो को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी परमिटों पर लागू करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. **टूरिस्ट वाहनों के सम्बन्ध में मोटर कैब/मैक्सी कैब की स्थिति में वाहन के चालक द्वारा वाहन के गतिमान होने की दषा में तत्समय टेपरिकार्डर/सी0डी0 प्लेयर आदि का संचालन नहीं किया जायेगा।**
2. **टूरिस्ट बसों के सम्बन्ध में म्यूजिक सिस्टम की व्यवस्था इस षर्त पर अनुमन्य होगी कि, टेपरिकार्डर/सीडी प्लेयर आदि के संचालन की व्यवस्था बस में परिचालक के पास होगी।**
3. **सभी प्रकार की व्यवसायिक वाहन में लकडी का गुटका अनिवार्य रुप से रखा जायेगा, विशयक षर्त यथावत् लागू रहेगी।**
4. **टूरिस्ट वाहनों यथा टैक्सी/मैक्सी में वाहन के अग्र भाग में चालक एवं यात्री हेतु 02 बैकेट सीट लगायी जाये। अतः पूर्व में चालक केबिन में पार्टीषन रॉड अनिवार्य किया गया था। अब इस षर्त में उपरोक्तानुसार संषोधन किया जाता है।**

संकल्प सं0–6:–

मद सं0–6 में मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा श्री गुरबख्ष सिंह तथा अन्य की रिवीजन सं0–05/09 में पारित आदेष दिनांक 27.06.09 के अनुपालन में देहरादून–कालसी मार्ग पर रिवीजनकर्ताओं को स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। बैठक में प्राधिकरण के समक्ष मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व देहरादून–डाकपत्थर मार्ग की ओर से श्री एस के श्रीवास्तव उपस्थित हुऐ। उन्होंने कहा कि" देहरादून–डाकपत्थर मार्ग पर कोई परमिट तब तक जारी नहीं किये जा सकते हैं, जब तक उत्तर प्रदेष राज्य के साथ कोई परिवहन करार नहीं हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि देहरादून–कालसी भी इसी मार्ग का भाग है। अतः वर्तमान में इस मार्ग पर कोई परमिट जारी ना किये जायें। यदि इस मार्ग पर परमिट जारी किये जाते हैं तो, स्वीकृत परमिट नई वाहन पर ही जारी किये जायें। मा0 उच्च न्यायालय ने याचिका सं0–117/09 एमएस तथा 140/09 एमएस–श्री विजय गोयल तथा अन्य में दिनांक 22.05.09 को दिये गये अपने निर्णय में परमिटों पर नई वाहन लगाने की षर्त को सही ठहराया गया है।

वर्तमान में देहरादून –कालसी मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के विरुद्व श्रीमती सुषीला देवी एवम श्री एस के श्रीवास्तव द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में क्रमषः याचिका सं0–96/09 तथा 103/09 दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.01.09 तथा 21.01.09 को इस आषय के आदेष पारित किये गये थे कि, प्रष्नगत मार्ग पर परमिटों की स्वीकृति इन याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेषों के अनुसार होगी।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, देहरादून–कालसी मार्ग पर मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा रिवीजन सं0 05/09 में पारित आदेष दिनांक 27.06.09 के अनुपालन में निम्नलिखित प्रार्थियों को एक–एक स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने की अनुमति इस षर्त के साथ प्रदान की जाती है कि, स्वीकृत परमिट नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.11 तक जारी किया जायेगा। यह परमिट मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिकाओं में भविश्य में पारित अंतिम आदेषों की षर्त के साथ जारी किये जायेंगे।

1–श्री मोहित कुमार पुत्र श्री भूशण कुमार,

2–श्री सुमित कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाष,

3–श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री डी0एम0 अग्रवाल,
4–श्रीमती रमा अग्रवाल पत्नी श्री अनिल कुमार अग्रवाल,
5–श्री इन्द्रप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरूबक्ष सिंह।

संकल्प सं0–7:–

इस मद के अन्तर्गत मण्डलीय प्रबन्धक, संचालन, उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के लिये देहरादून–विकासनगर–कालसी मार्ग पर 10 स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में इस मार्ग पर परिवहन निगम को परमिट जारी करने के विरुद्व अध्यक्ष, देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मोटर आनर्स वेलफेयर एसोसिएषन द्वारा आपत्ति की गई थी। प्राधिकरण ने इस बैठक में यह निर्णय लिया था कि, इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देषित किया जाय। परिवहन निगम ने आपत्ति के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया है, जिसका उल्लेख मद में किया गया है।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम को प्रष्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व श्री एस के श्रीवास्तव ने आपत्ति करते हुऐ कहा कि, इस मार्ग पर समय सारिणी का निर्धारण नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि, प्राधिकरण की पिछली बैठक में निजी वाहन स्वामियों द्वारा की गई आपत्ति पर उत्तर देने के लिये परिवहन निगम को समय दिया गया था। परिवहन निगम द्वारा दिये गये उत्तर को उन्हें नहीं दिखाया गया। उन्होनें कहा कि, परिवहन निगम द्वारा दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में जवाब दाखिल करने हेतु उनको भी समय दिया जाय।

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, परिवहन निगम द्वारा उक्त सम्बन्ध में उत्तर अपने पत्र–73/एचक्यू/संचालन–11/2011 दिनांक 16.03.11 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसको प्राधिकरण की कार्यसूची में उल्लिखित किया गया है। प्राधिकरण के संज्ञान में लाया गया कि, इस बैठक के सम्बन्ध में विज्ञप्ति समाचार पत्रों में दिनांक 23.10.11 को विज्ञापित की गई थी। उसमें इस मद का भी

उल्लेख किया गया था। अतः आपत्तिकर्ता के पास निगम के उत्तर की प्रति प्राप्त करने के लिये पर्याप्त समय उपलब्ध था, परन्तु ऐसा ना करके उनके द्वारा आज आपत्ति की जा रही है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के लिये 05 स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये जाते हैं, स्वीकृत परमिट वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.11 तक जारी किये जायेंगे।

संकल्प सं0–8:– इस मद के अन्तर्गत अन्तर्गत देहरादून–विकासनगर–कालसी मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों द्वारा स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु दिये गये प्रार्थनापत्रों को प्रस्तुत किया गया है। जिनके विवरण परिषिश्ट **क** तथा अनुपुरक सूची में दिये गये हैं। संकल्प सं0–6 तथा संकल्प सं0–7 में पारित आदेषानुसार प्रष्नगत मार्ग पर 5 परमिट निजी वाहन स्वामियों को तथा 5 परमिट परिवहन निगम को स्वीकृत कर दिये गये हैं। इस मार्ग पर इस प्रकार 10 परमिट स्वीकृत करने के पष्चात और परमिट जारी करने की आवष्यकता नहीं है। अतः इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को अस्वीकृत किया जाता है।

संकल्प सं0–9:– इस मद के अन्तर्गत श्री हरबन्ष लाल की वाहन सं0–यूए11–0690, माडल 2006 को देहरादून–डोईवाला–जौलीग्रान्ट तथा सम्बन्धित मार्ग पर अस्थाई सवारी गाडी परमिट देने हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में इस मार्ग पर 48 स्थाई सवारी गाडी परमिट निजी वाहन स्वामियों को तथा 12 स्थाई परमिट उत्तराखण्ड परिवहन निगम को जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 01 अस्थाई परमिट अनु0 जाति के अभ्यर्थी को जारी किया गया है। मार्ग पर अनु0जाति कोटे के अन्तर्गत स्वीकृत 02 परमिट अभी तक जारी नहीं किये गये हैं।

मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि, श्री हरबंष लाल को देहरादून–डोईवाला तथा सम्बन्धित मार्ग का अस्थाई परमिट 04 माह के लिये स्वीकृत किया जाता है। स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी हो जाने के पष्चात प्रार्थी को जारी अस्थाई परमिट स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संकल्प सं0–10(1):– इस मद के अन्तर्गत श्रीमती बबीता देवी को डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी मार्ग पर दिनांक 26.06.10 में स्वीकृत स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने तथा परमिट जारी करने हेतु समय वृद्वि करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। मामले पर विचारोपरान्त प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि, स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को 6 माह का समय इस षर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि, नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने तथा प्राधिकरण की वर्तमान नीति के अनुसार रु0 10,000/– प्रषमन षुल्क जमा करने पर स्वीकृत परमिट जारी किया जायेगा।

संकल्प सं0–10(2):– इस मद के अन्तर्गत श्रीमती कृश्णा देवी को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.10.10 में देहरादून–डोईवाला तथा सम्बन्धित मार्ग पर स्वीकृत स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने तथा परमिट जारी करने हेतु समय बढाने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। बैठक में अपना पक्ष रखने के लिये प्रार्थिनी ना तो स्वयं उपस्थित हुई और ना ही उनका कोई अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। अतः मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक तक के लिये स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0–11:– इस मद के अन्तर्गत गुरुकुल नारसन–मंगलौर मार्ग का विस्तार रुडकी तक करने के सम्बन्ध में श्री भूपाल सिंह, प्रबन्धक, किसान स्वतः षासित को–आपरेटिव सोसाइटी ग्राम मंडावली पे0 गुरुकुल नारसन, हरिद्वार के प्रार्थनापत्र को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। बैठक में प्राधिकरण के समक्ष श्री भूपाल सिंह उपस्थित हुऐ, उन्होंने प्राधिकरण को अवगत कराया कि, उक्त मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा बस सेवा का संचालन नहीं किया जा रहा है, इसलिये उनको इस मार्ग पर सवारी गाडी परमिट जारी किया जाय। इस सम्बन्ध में परिवहन निगम के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि, निगम एक सप्ताह के अन्दर प्रष्नगत मार्ग पर बस सेवा का संचालन प्रारम्भ कर देंगे।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि, परिवहन निगम को उक्त मार्ग पर बस सेवा संचालन हेतु अंतिम अवसर देते हुऐ एक सप्ताह का समय दिया जाता है, यदि परिवहन निगम द्वारा

एक सप्ताह के अन्दर बस सेवा प्रारम्भ नहीं की जाती है तो, किसान स्वतः षासित कॉ–आपरेटिव सोसाइटी ग्राम मंडावली पो0 गुरुकुल नारसन, हरिद्वार को अस्थाई परमिट जारी कर दिये जायेंगे।

संकल्प सं0–12:– इस मद के अन्तर्गत कुलडी–लक्सर–रुडकी तथा सम्बन्धित मार्ग का वर्गीकरण उच्च श्रेणी में करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। प्रष्नगत मार्ग का वर्गीकरण वर्श 1970 में **"बी"** श्रेणी में किया गया था। इस मार्ग का विस्तार लक्सर से रुडकी वाया लन्ढौरा, बषेडी से बी.एच.ई.एल. सैक्टर 2 तथा कुलडी से बालावाली से गंगाधाट तक किया गया है। वर्श 1970 से अब तक काफी समय व्यतीत हो चुका है तथा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, हरिद्वार ने सूचित किया है कि, मार्ग में काफी सुधार हुआ है तथा पूर्णतः पक्का है।

बैठक में मार्ग यूनियन के सचिव श्री जयपाल सिंह द्वारा मार्ग का वर्गीकरण उच्च श्रेणी में करने के विरुद्व आपत्ति की गई है तथा निवेदन किया है कि, प्रष्नगत मार्ग को बी श्रेणी में ही रहने दिया जाय। उन्होंने निवेदन किया है कि, वर्गीकरण उच्च श्रेणी में करने हेतु उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान अधिनियम 2003 के नियम 35 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार विचार करना अनिवार्य है।

अतः मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मार्ग के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान अधिनियम 2003 के नियम 35 में दिये गये प्राविधानों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग से आख्या प्राप्त की जाय, तत्पष्चात मामले को पुनः प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

संकल्प सं0–13:– इस मद के अन्तर्गत श्री नरेष चन्द जायसवाल के प्रत्यावेदन को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस प्रतिवेदन में यह निवेदन किया गया है कि, बहादराबाद–पिरानकलियर–रुडकी मार्ग पर अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने का अधिकार सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार को दिया जाय। प्रतिवेदनकर्ता बुलाये जाने पर प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुऐ। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने का अधिकार सम्भागीय

परिवहन प्राधिकरण के सचिव व सम्भाग के सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी को प्रदत्त किया गया है। उप सम्भाग के सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी को यह अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह मत स्थिर किया कि, धारा 87 के अन्तर्गत अस्थाई स्टैज कैरेज परमिट जारी करने की षक्ति का सचिव व सचिव की अनुपस्थिति सम्भागीय परिवहन कार्यालय के सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी को क्मसपहंजपवद सुविचारित है तथा कार्यहित में है। विचाराधीन श्रेणी के अस्थाई परमिटों को जारी करने से पूर्व इस राश्ट्रीयकृत मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा वाहन संचालन की सम्भावना आदि महत्वपूर्ण विशयों पर विचार व सभी तथ्यों का संज्ञान लेने के लिये अपेक्षित परिपक्वता, सूचनाओं की उपलब्धता व अनुभव का स्तर उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय स्तर पर सम्भव न होने के कारण यह षक्ति उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय स्तर के सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी को प्रदत्त नहीं की जा सकती है।

उक्त मार्ग राश्ट्रीयकृत मार्ग है। इस मार्ग पर वाहन चलाने के लिये उत्तराखण्ड परिवहन निगम अधिकृत है। बैठक में परिवहन निगम के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि, वह स्वयं उक्त मार्ग पर वाहन चलाने हेतु तत्पर हैं, उनके पास जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की छोटी बसें भी उपलब्ध हैं। वह षीध्र इस मार्ग पर बस संचालन करेंगे।

प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री नरेष चन्द जायसवाल के प्रत्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

संकल्प सं0–14:– इस मद के अन्तर्गत विकासनगर–लांधा मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त 04 प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस मार्ग पर पूर्व में 08 स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किये गये थे, परन्तु वर्तमान में 04 वाहनें संचालित हो रही हैं। मार्ग पर उपलब्ध रिक्तियों में श्री रामकुमार पुत्र श्री प्रभूदयाल को उनकी वाहन सं0– यूए07बी–7321 के लिये अस्थाई परमिट जारी किया गया है।

मद में वर्णित सभी प्रार्थियों को एक–एक स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट प्रार्थियों को नई वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.11 तक जारी किये जायेंगे।

संकल्प सं0–15:– इस मद के अन्तर्गत रुडकी केन्द्र से स्थाई टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण परिषिश्ट **ख** व अनुपुरक सूची में दिये गये हैं। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, वर्तमान में रुडकी केन्द्र से 181 टैम्पो परमिट वैध हैं। काफी समय से रुडकी केन्द्र के नये विक्रम परमिट जारी नहीं किये गये हैं। रुडकी केन्द्र से परमिट जारी करने के विरुद्व बालावाली– लक्सर –रुडकी–हरिद्वार मार्ग बस आपरेटर यूनियन द्वारा आपत्ति की गई है। इस आपत्ति में यह कहा गया है कि, रुडकी षहर हरिद्वार–दिल्ली व रुडकी सहारनपुर दो राश्ट्रीयकृत मार्गो के मध्य स्थापित है। रुडकी बस स्टैन्ड पर आये दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। षहर में काफी मात्रा में स्कूल बस मिनी बस व औधोगिक संस्थानों की बसें संचालित हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि, षहर मे वाहनों की भीड़ को देखते हुऐ रुडकी सेन्टर से टैम्पो परमिट जारी नहीं किये जायें।

उपरोक्त के अतिरिक्त देवभूमि आटोरिक्षा मालिक चालक कल्याण समिति ने आपत्ति की है कि, हरिद्वार में टैम्पो परमिट जारी करने पर पहले ही प्रतिबन्ध लग गया है। उन्होंने निवेदन किया है कि, रुडकी केन्द्र से विक्रम टैम्पो के नये परमिट जारी नहीं किये जायें। यदि रुडकी व लक्सर तहसील के आवेदकों को परमिट जारी किये जाते हैं तो, इन गाडियों को ग्रामीण क्षेत्र के परमिट जारी किये जायें, जिससे कि, ग्रामीणों को इन परमिटों का लाभ मिल सके और इन परमिटों का रंग भी अलग हो अन्यथा ये वाहनें हरिद्वार में ही चलेंगी और ग्रामीणों को इसका कोई लाभ नहीं मिल सकेगा।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, रुडकी क्षेत्र में आबादी में वृद्वि, षिक्षा, उधोग आदि क्षेत्रों में हुऐ विकास के फलस्वरुप परिवहन सुविधाओं में वृद्वि की आवष्यकता के दृश्टिगत् रुडकी केन्द्र से परमिटो हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थनापत्रों को निम्न षर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट नई वाहन (7+1 सीटर) के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.11 तक जारी किये जायेंगे।

1. हरिद्वार जनपद का निवासी हो।
2. आवेदक के नाम अन्य कोई परमिट न हो।
3. आवेदक बेरोजगार हो।

4. आवेदक के पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।
5. परमिट 03 वर्श की अवधि से पूर्व हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।
6. मार्ग पर संचालित वाहनों मॉडल सीमा 10 वर्श होगी तथा 10 वर्श की आयुसीमा पूरी होने पर ऊँचे मॉडल की वाहन से प्रतिस्थापन किया जाएगा।
7. वाहन का रंग नीला होगा तथा वाहन की बॉडी पर चारों साइड से "**रुडकी केन्द्र**" सुस्पश्ट प्रदर्षित होगा।
8. इस श्रेणी की एल0पी0जी0 चालित तिपहिया वाहन उपलब्ध होने, एल0पी0जी0 फिलिंग स्टेषन उपलब्ध होने पर वाहन का प्रतिस्थापन एल0पी0जी0 चालित वाहन से किया जायेगा।

संकल्प सं0–16:– इस मद के अन्तर्गत लक्सर केन्द्र से स्थाई टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण परिषिश्ट **ग** तथा अनुपुरक सूची में दिये गये हैं। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, वर्तमान में लक्सर केन्द्र से 20 टैम्पो परमिट जारी किये गये हैं। वर्श 1998 के पष्चात् नये परमिट जारी नहीं किये गये हैं। लक्सर केन्द्र से परमिट जारी करने के विरुद्व बालावाली–लक्सर–रुडकी–हरिद्वार मार्ग बस आपरेटर यूनियन द्वारा आपत्ति की गई है। इस आपत्ति में यह कहा गया है कि, रुडकी से लक्सर रेल यातायात उपलब्ध है। लक्सर क्षेत्र में रोडवेज, कुलडी–लक्सर–रुडकी तथा दल्लावाला–खानपुर–लक्सर मार्ग की बसें संचालित हैं। यदि लक्सर केन्द्र में विक्रमों को परमिट दिया जाता है तो, जहॉ एक ओर दुर्धटना की संख्या एवम् जाम की स्थिति में इजाफा होगा, वहीं बस मालिकों को अत्यधिक आर्थिक हानि होगी। ऐसी दषा में हमारे द्वारा अपनी मार्ग की सभी बसों/मिनी बसों को अपने प्रपत्र कार्यालय में समर्पण करने पडेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विभाग की होगी।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, लक्सर केन्द्र से परमिटो हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थनापत्रों को निम्न षर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट नई वाहन (7+1 सीटर) के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.11 तक जारी किये जायेंगे।

1. हरिद्वार जनपद का निवासी हो।
2. आवेदक के नाम अन्य कोई परमिट न हो।
3. आवेदक बेरोजगार हो।
4. आवेदक के पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।
5. परमिट 03 वर्श की अवधि से पूर्व हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।
6. मार्ग पर संचालित वाहनों मॉडल सीमा 10 वर्श होगी तथा 10 वर्श की आयुसीमा पूरी होने पर ऊँचे मॉडल की वाहन से प्रतिस्थापन किया जाएगा।
7. वाहन का रंग हरा होगा तथा वाहन की बॉडी पर चारों साइड से "लक्सर **केन्द्र"** सुस्पश्ट प्रदर्षित होगा।
8. इस श्रेणी की एल0पी0जी0 चालित तिपहिया वाहन उपलब्ध होने, एल0पी0जी0 फिलिंग स्टेषन उपलब्ध होने पर वाहन का प्रतिस्थापन एल0पी0जी0 चालित वाहन से किया जायेगा।

संकल्प सं0–17:– इस मद के अन्तर्गत डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये विक्रम टैम्पो परमिट जारी करने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार पुत्र श्री टीकाराम(सामान्य श्रेणी) के प्रार्थनापत्र को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में डोईवाला केन्द्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विक्रम टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थनापत्र निम्न लिखित षर्तों के साथ स्वीकृत किये गये थेः–

"प्रथम आगत, प्रथम निर्गत के सिद्धांत पर कुल 60 परमिट वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30–04–11 तक जारी किए जाएंगे, जिनमें से 47 परमिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को, 11 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों तथा 02 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जारी किए जाएंगे। निर्धारित संख्या में स्वीकृत परमिट जारी हो जाने के पश्चात् षेश प्रार्थनापत्रों की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएंगी।

1. **परमिट से आच्छादित वाहन का संचालन डोईवाला में लच्छीवाला रेलवे पुल से से आगे देहरादून षहर की ओर, ऋशिकेष मार्ग पर नटराज चौक से आगे तथा हरिद्वार मार्ग पर नेपाली फार्म से आगे नहीं किया जायेगा। वाहन का संचालन डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जाएगा।**

2. वाहनों का रंग हरा होगा तथा इन पर 05 इंच की सफेद पट्टी होगी जिसमें काले रंग से डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र अंकित होगा।

3. देहरादून जनपद का निवासी हो।

4. आवेदक के नाम अन्य कोई परमिट न हो।

5. आवेदक बेरोजगार हो।

6. आवेदक के पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।

7. परमिट 03 वर्श की अवधि से पूर्व हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा तथा आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत जारी परमिट आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।

8. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक, जिला प्रषासन द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

9. मार्ग पर संचालित वाहनों मॉडल सीमा 10 वर्श होगी तथा 10 वर्श की आयुसीमा पूरी होने पर ऊँचे मॉडल की वाहन से प्रतिस्थापन किया जाएगा।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत करना है कि, प्राधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेषों के अनुपालन में **47 परमिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को तथा 11 अनु0जाति के अभ्यर्थियों को जारी कर दिये गये हैं। अब केवल 02 परमिट अनु0जनजाति कोटे के अन्तर्गत जारी किये जाने षेश हैं।** परन्तु सामान्य श्रेणी की निर्धारित रिक्तियां पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी 18 आवेदकों को प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्वति से परमिट जारी किये गये, जिन्होंने स्वीकृति पत्र के आधार पर वाहन क्रय कर लिये थे। वर्तमान में डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र में 76 विक्रम टैम्पो परमिट वैध हैं।

श्री राजकुमार द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में स्वीकृत परमिट प्राप्त करने के लिये स्वीकृति पत्र के आधार पर दिनांक 18.04.11 को वाहन क्रय कर लिया गया था। परन्तु रिक्तियां पूर्ण हो जाने के कारण उनको परमिट जारी नहीं किया गया। आवेदक वाहन क्रय कर चुके हैं, अतः उनकी आर्थिक कठिनाईयों के दृश्टिगत श्री राजकुमार को डोईवाला केन्द्र(ग्रामीण क्षेत्र) का एक विक्रम टैम्पो परमिट प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में निर्धारित उपरोक्त षर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है।

संकल्प सं0–18(1):– इस मद के अन्तर्गत कौलागढ–विधानसभा के नगर बस परमिटों को हल्की वाहनों के परमिटों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है।

मार्ग के बस ऑपरटरों द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि "सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक 27.12.08 में कौलागढ़ से विधानसभा मार्ग पर 06 सिटी बस परमिट जारी किए गए थे। कुछ समय पष्चात् थानाकैण्ट–परेडग्राउण्ड की सिटी बसों को भी इसी रूट के परमिट अंकित कर दिए गए जिस कारण हमारी सिटी बसों को पर्याप्त सवारी न मिल पानी से काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और हमे मजबूर होकर अपनी गाड़ियों को बेचना पड़ा, जिससे हमें बेरोजगार भी होना पड़ा और अपने परिवार के भरण–पोशण की एक बहुत बुरी स्थिति बन गयी है। उनके मार्ग की नगर बस परमिटों को हल्के वाहनों के परमिटों से परिवर्तित कर दिया जाए तथा कौलागढ़ से घण्टाघर तक का छोटे वाहन के परमिट देने की कृपा करें, ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें और सरकार को राजस्व की हानि भी न हो सकें"।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, संयुक्त सर्वेक्षण समिति के माध्यम से उक्त मार्ग का पुनः सर्वे/परीक्षण कराया जाय तथा मार्ग की आर्थिक तथा लोड फैक्टर के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या प्राप्त की जाय, तदोपरान्त मामले को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

संकल्प सं0–18(2):– इस मद के अन्तर्गत कौलागढ–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग का विस्तार बाजावाला–मसन्दावाला तक करने तथा मार्ग पर हल्की वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व अध्यक्ष, नगर बस सेवा, अनारवाला–गढ़ीकैण्ट–आईएसबीटी–परेडग्राउण्ड ने आपत्ति की है कि उपरोक्त मार्ग पर अलग से ठेका परमिट के टाटा मैजिक को संचालित कराना सिटी बस वालों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। क्योंकि अत्यधिक संख्या में विक्रम व सिटी बसें संचालित होने के कारण प्रतिस्पर्धा बारम्बार बनी रहती है, जिस कारण दुर्घटनायें एवं मारपीट व झगड़े होते रहते हैं, इसके साथ ही बस मालिक आर्थिक आधार पर कमजोर हो रहे हैं, जिससे बसों के रख रखाव में भी मुष्किलों का सामना करना पड़ता है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, कौलागढ–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग का सर्वेक्षण संयुक्त सर्वेक्षण समिति के माध्यम से कराकर विस्तृत आख्या प्राप्त की जाय, समिति का दायित्व होगा कि, वह परीक्षण कर यह बतायें कि, इस मार्ग की म्बवदवउपब प्दअपंइपसपजल के क्या कारण रहे हैं और उनके निराकरण के उपाय व इस क्षेत्र की जनता को समुचित परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु इस मार्ग में किस प्रकार के परिवर्तन उचित होंगे। तदोपरान्त मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

संकल्प सं0–19:– इस मद के अन्तर्गत बुल्लावाला–झबरावाला–डोईवाला–भानियावाला–लालतप्पड़ मार्ग पर 4 पहिया 7/8 सीटर हल्की वाहनों का संचालन स्थाई ठेका गाड़ी के रुप में करने हेतु परमिटों के लिये प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेष हेतु मामला प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त मार्ग पर परमिट देने के विरुद्ध श्री सुषील गैरोला द्वारा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर इस मार्ग पर छोटी वाहनों को ठेका परमिट जारी करने के सम्बन्ध में आपत्ति की है। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों का विवरण परिषिश्ट **ध** तथा अनुपुरक सूची में दिया गया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, परिषिश्ट घ तथा अनुपुरक सूची में वर्णित समस्त प्रार्थनापत्रों को निम्नलिखित षर्तों के साथ परमिट स्वीकृत किये जाते हैं:–

1. इस मार्ग पर कुल 20 परमिट प्रथम आगत–प्रथम निर्गत के सिद्वान्त पर नई वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किए जाएंगे, जिनमें से 15 परमिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को, 04 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों तथा 01 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जारी किए जाएंगे।
2. आवेदक जनपद देहरादून के निवासी हों, इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. आवेदक के नाम पर अन्य कोई परमिट न हो।
4. आवेदक बेरोजगार हों।
5. उसके पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।

6. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक, जिला प्रषासन द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।
7. परमिट को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा तथा आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत जारी परमिट आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।
8. परमिट पर संचालित प्रत्येक वाहन को वाहन के संचालन के सम्बन्ध में लॉगबुक भरनी अनिवार्य होंगी। जिससे टैक्स निर्धारण, समय–सारिणी का अनुपालन, वाहन के पूरे मार्ग पर संचालन की सूचना तथा वाहन माह में कितने किमी0 संचालित की गई, के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध हो सके।

स्वीकृत परमिट नई वाहनों(7/8 सीटर) के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31–12–2011 तक जारी किए जाएंगे। निर्धारित संख्या में परमिट जारी होने पर षेश प्रार्थनापत्रों की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी।

<u>संकल्प सं0–20:–</u> इस मद के अन्तर्गत बिश्ट गांव–मंगौल–पंडितवाड़ी–गजियावाला–सप्लाई–आईएसबीटी मार्ग पर 4 पहिया 7/8 सीटर हल्की वाहनों का संचालन स्थाई ठेका गाड़ी के रुप में करने हेतु परमिटों के लिये प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेष हेतु मामला प्रस्तुत किया गया।

अध्यक्ष, महानगर बस सेवा, रायपुर–प्रेमनगर मार्ग तथा अध्यक्ष, अनारवाला–गढीकैन्ट–आईएसबीटी–परेड ग्राउन्ड ने छोटी वाहनों को ठेका परमिट जारी करने के विरुद्ध आपत्ति की है, जिसका उल्लेख मद में किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री अरुण षर्मा तथा श्री अलाउदीन(जन प्रतिनिधि) ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर इस मार्ग पर छोटी वाहनों को ठेका परमिट जारी करने के सम्बन्ध में आपत्ति करते हुऐ कहा कि, छोटी वाहनों को परमिट जारी करने पर मार्ग ओवरलैप होगा। मार्ग पर दो प्रकार की वाहन संचालित होने के फलस्वरुप अनावष्यक प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे दुर्धटना की सम्भावना हर समय बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त श्री दर्षन सिंह द्वारा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर प्रत्यावेदन दिया गया कि, उक्त मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व उनके द्वारा रिट दायर की गई है। उन्होंने उक्त मार्ग पर प्राप्त आवेदन पत्रों की सुनवाई स्थगित करने की प्रार्थना की है।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, देहरादून ने अपने पत्र सं0–2196/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/09 दिनांक 21.10.09 द्वारा सर्वेक्षण आख्या प्रेशित की है, जिसके अनुसार सप्लाई डिपो से आगे इस मार्ग पर बसों का संचालन, मार्ग उबड खाबड, संकरा होने के कारण संचालन जनसुरक्षा की दुश्टि से खतरनाक है। यह मार्ग हल्के वाहन के संचालन हेतु उपयुक्त है। मार्ग से इन्दिरा नगर ग्राम, गजियावाला, मंगोल–पंडितवाडी, बिश्ट गांव तथा सिंगली आदि गांवो का सम्पर्क है, जिसकी आबादी लगभग 35000–40000 होगी।

इस मार्ग पर परमिट प्राप्त करने हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों का विवरण परिषिश्ट **च** तथा अनुपुरक सूची में किया गया है।

अतः क्षेत्रीय नागरिकों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देष्य से प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, परिषिश्ट तथा अनुपुरक सूची में वर्णित समस्त प्रार्थनापत्र निम्नलिखित षर्तों के साथ स्वीकृत किये जाते हैंः–

1. इस मार्ग पर कुल 20 परमिट प्रथम आगत–प्रथम निर्गत के सिद्वान्त पर नई वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किए जाएंगे, जिनमें से 15 परमिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को, 04 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों तथा 01 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जारी किए जाएंगे।
2. आवेदक जनपद देहरादून के निवासी हों इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. आवेदक के नाम पर अन्य कोई परमिट न हो।
4. आवेदक बेरोजगार हों।
5. उसके पास हल्की वाणिज्य वाहन चलाने का डी0एल0 हो।
6. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक, जिला प्रषासन द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।
7. परमिट को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा तथा आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत जारी परमिट आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।

8. परमिट पर संचालित प्रत्येक वाहन को वाहन के संचालन के सम्बन्ध में लॉगबुक भरनी अनिवार्य होंगी। जिससे टैक्स निर्धारण, समय–सारिणी का अनुपालन, वाहन के पूरे मार्ग पर संचालन की सूचना तथा वाहन माह में कितने किमी0 संचालित की गई, के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध हो सके।

स्वीकृत परमिट नई वाहनों(7/8 सीटर) के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31–12–2011 तक जारी किए जाएंगे। निर्धारित संख्या में परमिट जारी होने पर षेश प्रार्थनापत्रों की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह परमिट मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भविश्य में पारित अंतिम आदेषों की षर्त के साथ जारी किये जायेंगे।

संकल्प सं0–21:– इस मद के अन्तर्गत देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग पर चल रही टाटा मैजिक वाहनों की संख्या बढाये जाने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में मार्ग पर 6 बसें तथा 11 हल्की वाहनें (टाटा मैजिक) चल रही हैं। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पष्चात आख्या प्रेशित की है कि, वर्तमान में मार्ग पर चल रही वाहनें स्थानीय जनता को परिवहन की पर्याप्त सेवायें देने में सक्षम नहीं है। उन्होंने मार्ग पर 05 हल्की वाहनों के परमिट जारी करने की संस्तुति की है।

इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण परिषिश्ट **छ** तथा अनुपुरक सूची में दिये गये हैं। प्रार्थनापत्रों का अवलोकन करने के पष्चात ज्ञात हुआ कि, अधिकतर वाहन स्वामियों द्वारा प्रार्थनापत्र ठेका गाडी के लिये निर्धारित प्रपत्र में दिये गये हैं। जबकि स्टैज कैरेज परमिट हेतु निर्धारित प्रपत्र एस0आर0 20 पर आवेदन करना अपेक्षित था। अतः प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर ना होने वाले सभी आवेदनपत्रों को निरस्त करते हुऐ इस मार्ग पर विचार करना अगली बैठक तक के लिये स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0–22:– इस मद के अन्तर्गत ऑटोरिक्षा वाहनों में किराये का मीटर लगाने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। बैठक में प्राधिकरण के समक्ष आटोरिक्षा यूनियन के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि, वर्तमान में आटोरिक्षा का किराया बहुत कम है। यदि वाहनों में किराये का मीटर लगाया जाता है

तो, इन वाहनों का किराया बढाया जाय, उसके पष्चात ही किराये का मीटर लगाने के आदेष दिये जायें। वर्तमान में निर्धारित किराये के अनुसार वाहनों में मीटर लगाकर संचालित करना आर्थिक रुप से लाभप्रद नहीं है। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, राज्य परिवहन प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 31.10.11 में आटोरिक्षा की किराया दर में वृद्वि का प्रकरण विचाराधीन था।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, राज्य परिवहन प्राधिकरण को स्थिति से अवगत कराते हुऐ निवेदन किया जाय कि, आटोरिक्षा वाहनों के किराये में वृद्वि के सम्बन्ध में यदि विचार किया जाता है तो, इन वाहनों के किराये में वृद्वि इस षर्त के साथ की जाय कि, वाहनों में किराये का मीटर लगाया जाना अनिवार्य होगा। वाहनों के किराया दर में वृद्वि के प्रकरण का राज्य परिवहन प्राधिकरण के द्वारा निस्तारण के पष्चात फेयर मीटर की अनिवार्यता की षर्त आरोपित करने हेतु मामले को पुनः प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

संकल्प सं0–23:– इस मद के अन्तर्गत उत्तरकाषी षहरी क्षेत्र के अन्दर स्थानीय यातायात एवम् पर्यटकों की सुविधा को द्श्टिगत रखते हुऐ आटोरिक्षा संचालन के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिलाधिकारी, उत्तरकाषी ने उत्तरकाषी के षहरी क्षेत्र में महिन्द्रा जियो 4 व्हीलर वाहन के संचालन के सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 23.06.11 द्वारा अवगत कराया है कि, वाहन को षहरी क्षेत्र में संचालन हेतु उपर्युक्त पाया गया है। इसके अतिरिक्त सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रषासन उत्तरकाषी ने अपने पत्र दिनांक 12.05.11 द्वारा सूचित किया है कि, उत्तरकाषी नगर में वाहन संचालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा 6 सदस्यों की समिति गठित की गई थी। समिति ने उत्तरकाषी में नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत महिन्द्रा जियो 4 व्हीलर वाहन के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति प्रदान की गई है कि, उत्तरकाषी षहर में 8 किमी0 अर्धव्यास क्षेत्र के लिये वाहनों को परमिट जारी किये जायें। समिति की आख्या में यह भी कहा गया है कि, उत्तरकाषी नगर धाटी में बसा होने के कारण इसका अधिकतर भाग समतल है। समिति ने नगर में यातायात की आवष्यकता की पूर्ति के लिये अधिकतम 30 वाहनों के संचालन की अनुमति दी है।

प्राधिकरण की बैठक में मैसर्स टी0जी0एम0ओ0सी0 के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया गया कि, उपरोक्त प्रकार वाहनों को परमिट दिये जाने से षहर में ट्रैफिक कन्जैषन व वायु प्रदूशण की समस्या हो सकती है। इसलिये छोटी वाहनों को परमिट दिया जाना उचित नहीं है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, उत्तरकाषी नगर में स्थानीय यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये छोटी वाहनों को चलाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, उत्तरकाषी से पुनः आख्या प्राप्त की जाय तथा उसके पष्चात मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

संकल्प सं0–24(अ):– इस मद के अन्तर्गत हरिद्वार केन्द्र के ऑटो रिक्षा परमिटों का मार्ग 16 किमी के स्थान पर 25 किमी करने के सम्बन्ध में श्री विजय अग्रवाल अध्यक्ष, मालिक एवं चालक कल्याण समिति, रेलवे स्टेषन पंचपुरी, हरिद्वार के पत्र तथा ऑटो रिक्षा विक्रम एसोसिएशन, ललतारौपुल, रेलवे रोड़, हरिद्वार के पत्र को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। बैठक में आटोरिक्षा यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि, देहरादून व ऋशिकेष में आटोरिक्षा वाहनों के परमिटों का मार्ग बढाकर 25 किमी0 अर्धव्यास कर दिया गया है, परन्तु हरिद्वार केन्द्र से जारी आटोरिक्षा वाहनों के परमिटों का मार्ग नहीं बढाया गया है। उन्होंने निवेदन किया है कि, हरिद्वार केन्द्र से जारी आटोरिक्षा वाहनों के परमिटों का मार्ग 25 किमी0 करने की कृपा करें। उत्तराखण्ड प्रदेष विक्रम टैम्पो महासंध ने हरिद्वार केन्द्र के आटोरिक्षा वाहनों का मार्ग बढाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गई कि, ऋशिकेष–मुनि की रेती–लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पहले से ही आटो एवं विक्रमों की संख्या बहुत अधिक है। यदि हरिद्वार के विक्रम व आटो इस क्षेत्र में संचालित होते हैं तो, यातायात की व्यवस्था बिगड जायेगी साथ ही स्थानीय जनता को भी परेषानी का सामना करना पडेगा।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, हरिद्वार केन्द्र के आटोरिक्षा वाहनों का मार्ग 16 किमी0 के स्थान पर 25 किमी0 अर्धव्यास करने की स्वीकृति इस षर्त के साथ प्रदान की जाती है कि, वाहनों का संचालन ऋशिकेष षहर की दिषा में अधिकतम चार धाम बस अडडे(सी0टी0बी0टी0) तक किया जायेगा, जिससे बस एवं रेल से जाने वाले यात्रियों को सुविधाजनक परिवहन सुविधा मिल सके। इन वाहनों का संचालन मुनि की रेती तथा लक्ष्मण झूला क्षेत्र में प्रतिबन्धित रहेगा।

(ब) इस मद के अन्तर्गत श्री षिव कुमार षर्मा, संयोजक आटो रिक्षा विक्रम महासंध हरिद्वार के पत्र को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस पत्र में हरिद्वार केन्द्र के आटोरिक्षा परमिटों का मार्ग बढाकर 25 किमी0 अर्धव्यास करने का निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में संकल्प सं0–24(अ) में आदेष पारित कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त हरिद्वार केन्द्र के विक्रम टैम्पो परमिटों पर मुनि की रेती एंव डोईवाला में संचालन हेतु लगाये गये प्रतिबन्ध को समाप्त करने हेतु निवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, स्थान की संकीर्णता के कारण हरिद्वार केन्द्र के विक्रम टैम्पो वाहनों का संचालन डोईवाला तथा मुनि की रेती क्षेत्र में प्रतिबन्धित किया गया था। पुनः इस प्रत्यावेदन के प्राप्त होने पर ऋशिकेष के पुलिस, प्रषासन के अधिकारियों से इस पर अपना अभिमत देने के लिये पत्र लिखा गया था।

क्षेत्राधिकारी, ऋशिकेष ने अपने पत्र दिनांक 13.06.11 द्वारा सूचित किया है कि, ऋशिकेष क्षेत्र की सडकें संकुचित होने के कारण पूर्व से ही अधिक संख्या में संचालित हो रहे विक्रम टैम्पो वाहनों के कारण आये दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में अधिक विक्रम वाहनों को ऋशिकेष क्षेत्र में तथा ऋशिकेष से लक्ष्मण झूला की ओर संचालित करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं होगा।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, ऋशिकेष में स्थान की संकीर्णता के कारण हरिद्वार केन्द्र के विक्रम टैम्पो वाहनों को लक्ष्मणझूला–मुनि की रेती क्षेत्र में संचालन की अनुमति देना उचित नहीं होगा। प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि, हरिद्वार तथा ऋशिकेष केन्द्र से संचालित विक्रम टैम्पो वाहनों के लिये अलग–अलग रंग निर्धारित करने के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में परिवहन, पुलिस तथा प्रषासन के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाय। इस समिति का यह कार्य होगा कि, वे इन वाहनों के रंग संयोजन आदि के बारे में सुझाव देंगे, जिसके आधार पर इन वाहनों का संचालन निर्धारित क्षेत्रों में ही हो व ट्रैफिक, जाम आदि की समस्याओं पर अंकुष लग सके।

संकल्प सं0–25:– इस मद के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्थापित चालक प्रषिक्षण संस्थान झाझरा में चालकों को रिफ्रेषर प्रषिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मामला प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण को बैठक में टी0जी0एम0ओ0सी0 ऋशिकेष के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि, चालक प्रषिक्षण संस्थान राज्य के सभी जनपदों में स्थापित नहीं है। जिस कारण से राज्य के सभी दूरदराज के क्षेत्रों से झाझरा,

देहरादून में रिफ्रैषर प्रषिक्षण प्राप्त करने हेतु आना सम्भव नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि, यदि चालकों को प्रषिक्षण दिया जाना आवष्यक है तो, प्रत्येक जनपद में प्रतिमाह प्रषिक्षण कैम्प लगाये जायें, ताकि इन कैम्पों में स्थानीय वाहन चालक प्रषिक्षण प्राप्त कर सकें। उन्होंने यह भ अवगत कराया कि, पूरे राज्य से वाहन चालकों को प्रषिक्षण के लिये झाझरा देहरादून में बुलाया जाना व्यवहारिक नहीं है, इससे अनेक प्रकार की कठिनाईयां उत्पन्न होंगी। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निम्नलिखित मत व्यक्त कियाः–

- यात्री वाहनों में चालक प्रषिक्षण संस्थान, झाझरा में रिफ्रैषर कोर्स पूर्ण करने वाले चालकों को ही नियोजित करने की षर्त लगाने से व्यवहारिक कठिनाईयां आयेंगी, क्योंकि रिफ्रैषर कोर्स की सुविधा देहरादून के अलावा अन्य क्षेत्रों में नहीं है। अतः इस षर्त के अनुपालन को सुनिष्चित करने में जनसहयोग के अभाव में कठिनाई होगी।
- उल्लेखनीय है कि, चार धाम यात्रा आदि में वाहनों की प्रायः कमी पड जाती है। इस षर्त से यह समस्या और विकट हो सकती है।
- इस सम्भाग के यात्री वाहनों की संख्या को देखते हुऐ उनसे जुडे चालकों के प्रषिक्षण के लिये चालक प्रषिक्षण संस्थान को भी समय लगेगा। अतः इस स्तर पर रिफ्रैषर कोर्स को अनिवार्य कर देना उचित नहीं रहेगा।
- अन्य राज्यों व अन्य सम्भागों के यात्री वाहनों पर इस कोर्स की अनिवार्यता का क्रियान्वयन सहज नहीं होगा।

अतः प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि, इस विशय में राज्य परिवहन प्राधिकरण/परिवहन आयुक्त को यह प्रस्ताव भेजा जाय कि, व्यवसायिक यात्री वाहनों के चालक लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिये रिफ्रैषर कोर्स को अनिवार्य करने के लिये षासनादेष जारी करवाया जाय। इसके फलस्वरुप एक निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत सभी चालक रिफ्रैषर कोर्स से आच्छादित हो जायेंगे व सडक सुरक्षा को सुनिष्चित करने में सरलता होगी।

संकल्प सं0–26:– इस मद के अन्तर्गत चार धाम यात्रा में संचालित होने वाले यात्री वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवर्श माह मई से अक्टूबर/नवम्बर तक

हरिद्वार/ऋशिकेष से चार धाम यात्रा श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री धामों के लिये संचालित होती है। यात्रा में संचालित सभी यात्री वाहनों को यात्रा अवधि के दौरान ग्रीन कार्ड जारी किये जाते हैं। ग्रीन कार्ड जारी करने का मुख्य उद्देष्य यह होता है कि, यात्रा मार्गो पर चैकिंग के दौरान वाहन चालकों को वाहन के समस्त प्रपत्र ना दिखाने पडे तथा चैकिंग अधिकारियों को भी समस्त प्रपत्रों के स्थान पर ग्रीन कार्ड देखने में समय की बचत के साथ– साथ सुविधाजनक भी होगा। प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि, चार धाम यात्रा के लिये सभी व्यवसायिक यात्री वाहनों के परमिटों में ग्रीन कार्ड की अनिवार्यता की षर्त आरोपित कर दी जाय।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जो कि पंजीयन अधिकारी भी हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में चार धाम यात्रा पर जाने वाली व्यवसायिक यात्री वाहनों पर ग्रीन कार्ड की षर्त की अनिवार्यता को उत्तरप्रदेष मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 178(1) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत लागू करेंगे तथा इस प्रतिबन्ध का गजट नोटिफिकेषन भी करवायेंगे।

संकल्प सं0–27:– इस मद के अन्तर्गत पर्वतीय मार्गो पर चलने वाले जनभार वाहनों की भार क्षमता में वृद्वि करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, पर्वतीय क्षेत्र में अनेक जल विधुत परियोजनाऐं बन रही हैं। इन परियोजनाओं के लिये भारी सामान की आपूर्ति की जा रही है, जिसके फलस्वरुप पर्वतीय मार्गो तथा उन पर पडने वाले पुलों में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान में भार सहित 31500 किग्रा0 वजन तक की वाहनों का पर्वतीय मार्गो पर संचालन हो रहा है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा सीमा सडक संगठन आदि सम्बन्धित विभागों से इस आषय की आख्या प्राप्त की जाय कि, पर्वतीय मार्गो पर कितने भार तक की वाहनों को संचालित किया जाना सुरक्षित है। आख्या प्राप्त हो जाने के पष्चात मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

संकल्प सं0–28:– इस मद के अन्तर्गत डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये जारी किये गये 14 विक्रम टैम्पो परमिटों का मार्ग विस्तार डोईवाला से आईएसबीटी करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया जाय। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, डोर्डवाला केन्द्र से ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विक्रम टैम्पो परमिट दिनांक 09.03.11 की बैठक में स्वीकृत किये गये थे। वर्तमान में डोर्डवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये 76 परमिट जारी किये गये हैं। इस मार्ग की वाहनों को आईएसबीटी तक चलने की अनुमति देने के विरुद्व विक्रम जनसुविधा उत्थान समिति, डोईवाला देहरादून ने आपत्ति की है कि, डोईवाला से रिस्पनापुल, आईएसबीटी तक चलने की आज्ञा ग्रामीण क्षेत्र के लिये जारी विक्रम टैम्पो वाहनों को नहीं दी जाय, क्योंकि आईएसबीटी के लिये पूर्व से ही डोईवाला केन्द्र की विक्रम वाहनें संचालित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त महानगर बस सेवा, डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी–नवादा मार्ग बस यूनियन ने भी विक्रम वाहनों को आईएसबीटी तक चलने की अनुमति देने के विरुद्व आपत्ति की है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, चूंकि यह परमिट डोईवाला के ग्रामीणों क्षेत्रों में संचालन हेतु जारी किये गये हैं। अतः इन वाहनों का मार्ग विस्तार आईएसबीटी तक करना उचित नहीं है। अतः श्री इरफाक अहमद के प्रार्थनापत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

संकल्प सं0–29:– इस मद के अन्तर्गत हरभजवाला–चोयला–तुन्तोवाला–चन्द्रबनी–आईएसबीटी से संचालित हल्के यात्री वाहन को षहर क्षेत्र (परेडग्राउण्ड) तक संचालित करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पष्चात आख्या प्रस्तुत की है कि, हरभजवाला–तुन्तोवाल–चौयला–चन्द्रबनी–आईएसबीटी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार आई एस बी टी से हरिद्वार बाईपास–माता मंदिर–धर्मपुर–आराधर होते हुऐ परेड ग्राउन्ड तक कर दिया जाय।

अतः प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, हरभजवाला–चोयला–तुन्तोवाला–चन्द्रबनी–आईएसबीटी मार्ग का विस्तार आई एस बी टी से हरिद्वार बाईपास–पुलिस चौकी–सरस्वती बिहार–माता मंदिर–धर्मपुर–आराधर होते हुऐ परेड ग्राउन्ड तक करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संकल्प सं0–30:– इस मद के अन्तर्गत देहरादून–प्रेमनगर–परवल मार्ग का विस्तार सिंहनीवाला तक किये जाने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पष्चात संस्तुति की है कि, उक्त मार्ग का विस्तार सिंहनीवाला तक किया जाना उचित होगा। इससे बडोवाला–गोरखपुर टी स्टेट के लोगों को सुविधा होगी।

अतः प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, देहरादून–प्रेमनगर–परवल मार्ग का विस्तार बडोवाला तिराहे से नयागांव–पुलिस चौकी होते हुऐ सिंगनीवाला तक करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संकल्प सं0–31:– इस मद के अन्तर्गत पुरकुल गांव–मोथरोवाला नगर बस सेवा मार्ग का विस्तार दौडवाला– खटटापानी –फान्दुवाला –दुधली–जडोन्द तक करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के आख्या प्रेशित की है कि, मोथरोवाला–दूधली–जडोन्द तक मार्ग पक्का है। मथुरावाला से जडोन्द तक मार्ग की लम्बाई 11.7 किमी0 के लगभग है। पुरकुलगांव से मोथरोवाला तक मार्ग की दूरी 24 किमी0 है। यदि मोथरोवाला से दौडवाला–खटटापानी–फान्दुवाला–दूधली–जडोन्द–11.7 किमी0 अलग मार्ग वर्गीकृत किया जाता है तो, यह मार्ग आर्थिक दृश्टि से लाभप्रद नहीं होगा।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, चूंकि उक्त प्रकार मार्ग का विस्तार करने पर मार्ग की कृल लम्बाई 35.7 किमी0 हो जाती है, जबकि नगर बस मार्ग की लम्बाई 25 किमी0 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विषेश परिस्थितियों में इस मार्ग को पुरकुल गांव–मोथरोवाला मार्ग में सम्मिलित करना उचित होगा। अतः इस मार्ग को पुरकुल गांव–मोथरोवाला मार्ग में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त की जाय।

संकल्प सं0–32(i):– इस मद के अन्तर्गत प्रेमनगर मार्ग की सिटी बसों का विस्तार झाझरा (चालक प्रषिक्षण संस्थान) तक करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के आख्या प्रेशित की है कि, प्रेमनगर–सहसपुर मार्ग की छोटे स्टेज कैरेज वाहनों के परमिटो में झाझरा तक मार्ग विस्तार किये जाने की संस्तुति की है, परन्तु अपर परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा षहर से प्रेमनगर तक जाने वाली नगर बसों को प्रेमनगर से झाझरा चालक प्रषिक्षण संस्थान तक चलाने के लिये निर्देषित किया गया था।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त देहरादून–प्रेमनगर–परवल मार्ग की वाहनों के परमिटों में प्रेमनगर से सुद्वोवाला–झाझरा(चालक प्रषिक्षण संस्थान) तक विस्तार इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि बस यूनियन द्वारा चालक प्रषिक्षण संस्थान तक प्रतिदिन चार वापसी सेवायें चलाई जायेंगी।

(ii) इस मद के अन्तर्गत जनपद देहरादून में ग्राम डोबरी–पंचायत–सोरना नवनिर्मित मार्ग को मुख्य मोटर मार्ग तक जोडने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने क्षेत्रीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु सहसपुर–कोटडा मार्ग का विस्तार सोरना–रुद्रपुर मुख्य मार्ग तक पृश्ठांकित करने की संस्तुति की है।

अतः प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, सहसपुर–कोटडा मार्ग का विस्तार सोरना–रुद्रपुर तक करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संकल्प सं0–33(i)(ii)(iii):– इस मद के अन्तर्गत परेड ग्राउन्ड से नेहरुकालोनी–नेहरुग्राम–मियांवाला चौक के बीच चलने वाली वाहनों का मार्ग विस्तार i–मियांवाला चौक से नकरौंदा–सैन्य कालोनी–हर्रावाला तथा लोअर नेहरुग्राम, लोअर तुनवाला होते हुऐ मियांवाला तक ii–बालावाला होते हुऐ नकरौंदा–हर्रावाला एवं किददुवाला से रायपुर होते हुऐ तुनवाला–षमषेरगढ–बालावाला तक iii– षहीद अमरदीप मार्ग–राजा की कोठी–षिव मंदिर–लोअर नेहरुग्राम होते हुऐ एस0जी0आर0आर0 पब्लिक स्कूल–लोअर तुनवाला तक करने के सम्बन्ध में मामला विचार

व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण कर आख्या प्रेशित की है कि, नकरौंदा, सैन्य कालानी क्षेत्र की जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु हल्की वाहनों हेतु निर्मित परेड ग्राउन्ड से ईसी रोड–नेहरुकालोनी–नेहरुग्राम–तुनवाला–मियांवाला मार्ग का विस्तार नकरौंदा होते हुऐ हर्रावाला तक, लोअर नेहरुग्राम–लोअर तुनवाला होते हुऐ मियांवाला तक, षमषेरगढ क्षेत्र की जनता को रायपुर से षमषेरगढ तक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मार्ग का विस्तार किददूवाला से रायपुर होते हुऐ तुनवाला–षमषेरगढ–बालावाला–मियांवाला तक तथा षहीद अमरदीप मार्ग–राजा की कोठी–षिवमंदिर–नेहरुग्राम होते हुऐ एस0जी0आर0आर0 पब्लिक स्कूल–लोअर तुनवाला तक मार्ग विस्तार करने की संस्तुति की गई है।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, परेड ग्राउन्ड से नेहरुकालोनी–नेहरुग्राम–मियांवाला मार्ग का विस्तार निम्नानुसार कर दिया जाय।

1. नेहरुग्राम–षहीद अमरदीप सिंह चौक से लोअर तुनवाला होते हुऐ मियांवाला
2. मियांवाला चौक से बालावाला होते हुऐ नकरौंदा–हर्रावाला
3. किददूवाला से रायपुर होते हुऐ तुनवाला–षमषेरगढ–बालावाला–मियांवाला
4. षहीद अमरदीप मार्ग–राजा की कोठी–षिव मंदिर–लोअर नेहरुग्राम होते हुऐ एस0जी0आर0आर0 पब्लिक स्कूल–लोअर तुनवाला

संकल्प सं0–34:– इस मद के अन्तर्गत सहसपुर–लक्ष्मीपुर–बुलाकीवाला–अम्बाडी–विकासनगर मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, देहरादून ने सर्वेक्षण कर आख्या प्रेशित की है कि, उक्त मार्ग पर सहसपुर से लक्ष्मीपुर होते हुऐ बरोटीवाला तक डाकपत्थर–विकासनगर मार्ग की बसें संचालित हैं। बुलाकीवाला से अम्बाडी तक कोई परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। सहसपुर से लक्ष्मीपुर होते हुऐ बुलाकीवाला–अम्बाडी से विकासनगर तक मार्ग की कुल दुरी 17 किमी0 है। मार्ग पर परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु उचित होगा कि, मार्ग पर छोटी जीप प्रकार की वाहनों के संचालन हेतु परमिट जारी किये जायें। उन्होंने मार्ग पर 08 परमिट जारी करने की संस्तुति की है।

प्राधिकरण द्वारा सहसपुर–लक्ष्मीपुर–बुलाकीवाला–अम्बाडी–विकासनगर मार्ग को मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 68(3)(ग–क) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार हल्की वाहनों को स्टैज कैरेज के रुप में संचालित करने हेतु **क** श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रेशित किया जाय। मार्ग निर्मित हो जाने के पष्चात इन मार्गो पर परमिट जारी करने हेतु प्रार्थनापत्र आंमत्रित किये जायें।

संकल्प सं0–35:– इस मद के अन्तर्गत राजपुर रोड पर यूपीएफसी कार्यालय से पुलिस कालोनी तक नवनिर्मित मार्ग पर बस सेवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, देहरादून ने सर्वेक्षण कर आख्या प्रेशित की है कि, यह मार्ग होटल ग्रेट वैल्यू से कैनाल रोड–किषनपुर–पुलिस कालोनी होते हुऐ मसूरी–सहस्त्रधारा बाईपास मार्ग पर मिलता हैं, जिसकी लम्बाई 5.3 किमी0 है। मार्ग बसों के संचालन हेतु उपयुक्त है। उन्होंने इस मार्ग का पृश्ठांकन राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग की नगर बसों में करने की संस्तुति की है।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि, उपरोक्त मार्ग का विस्तार राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग के परमिटों में करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संकल्प सं0–36:– इस मद के अन्तर्गत टिहरी तथा उत्तरकाषी जनपदों में नवनिर्मित मोटर मार्गों तथा हल्के वाहन मार्गों को यातायात के लिए खोलने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी तथा उत्तरकाषी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ नवनिर्मित मार्गो का सर्वेक्षण करने के पष्चात इन मार्गो को यातायात के लिये खोलने की संस्तुति की है। अतः निम्नलिखित मार्गो को यातायात के लिये उपयुक्त होने के आधार पर स्टैज कैरेज वाहनों के परमिटों में पृश्ठांकन की अनुमति दी जाती है।

जनपद टिहरी के नवनिर्मित मार्गः–

1–जगैठी–राजराजेष्वरी मोटर मार्ग	–01 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
2–गजा नकोट मोटर मार्ग से फेबुल मोटर मार्ग	–1.10 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)

3–मदननेगी–खौला मोटर मार्ग –07 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
4–पीटी रोड से नेल्डा मोटर मार्ग –03 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
5–कांधला बैण्ड–महेड़ा–कटखेत हल्का मोटर मार्ग। – 2.5 किमी। (केवल हल्की वाहनो हेतु)
6–खाड़ी–गजा–आमपाटा मोटर मार्ग –1.0 किमी। (केवल हल्की वाहनो हेतु)
7–दिऊली–कुंजापुरी मोटर मार्ग –2.80 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
8–दुआधार–बनाली–पिल्डी–चमोल गांव मोटर मार्ग –1.90 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
9–कांडा खेत–पीटीसी मोटर मार्ग –3.25 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
10–दुआधार–बनाली–कोटी–पिल्डी मोटर मार्ग –2.2 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
11–फकोट–समेटी–काटल मोटर मार्ग –2.0 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
12–सैंदुल–कोटी मोटर मार्ग –12 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
13–नई टिहरी मार्ग से हनुमान मंदिर, घनसाली–चमियाला बाईपास मार्ग –600 मी0।(हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
14–ललत–सीवालीधार मोटर मार्ग –5.60 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
15–हिण्डोलाखाल–उनाना मोटर मार्ग –5.5 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
16–अंजनी सेंड–कुनाणु–कपरियाड़ी सैंड़ मोटर मार्ग –9.00 किमी से 16.3 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
17–नवाकोट–जोगीयाणा–टिपरी–राधुधार मोटर मार्ग –2.6 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
18–बिच्छु–लिंक मार्ग –1.9 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
19–परोगी–कांडी मार्ग –5.5 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
20–रामपुर–ष्यामपुर बमाणा मोटर मार्ग (15.5 किमी) (हल्की वाहनो हेतु)
21–तोली–गुजेठा मोटर मार्ग (8.7 किमी) (हल्की वाहनो हेतु)
22–मुल्यागांव से पलेठी मोटर मार्ग 7.7 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
23– अलमस–भवान–नगुण मोटर मार्ग –15 से 46.85 (32.85) किमी0 (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)

<u>जनपद उत्तरकाषी के नवनिर्मित मार्गः–</u>

1–नेहरू पर्वता रोहण संस्थान मार्ग – 2.65 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)

उपरोक्त नवनिर्मित मोटर मार्गो को (हल्के वाहन मार्ग को छोडकर) क्रम सं0– 1 से 23 तक के मार्गो को मार्ग सूची सं0–1 के मार्गो में तथा जनपद उत्तरकाषी के नवनिर्मित मार्ग नेहरु पर्वता रोहण संस्थान मार्ग को मार्ग सूची सं0–4 में पृश्ठांकन किया जाय।

<u>संकल्प सं0–37ः–</u> इस मद के अन्तर्गत अत्यधिक तीव्र गति, क्षमता से अधिक यात्री, नषे की हालत में वाहन संचालन एवं दुर्व्यवहार करने एवं यातायात नियमों का पालन न करने वाले चालकों की षिकायत एस0एम0एस0 द्वारा करने की षर्त परमिट षर्तो में करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था ने राज्य में बढती दुर्धटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिये बसों व टैक्सियों के अन्दर निम्नलिखित उक्ति अंकित कराने का सुझाव दिया है।

"अत्यधिक तीव्र गति, क्षमता से अधिक यात्री, वाहन चालक के नषे या नींद में होने अथवा दुर्व्यहार करने व यातायात नियमों का पालन न करने की स्थिति में अपनी षिकायत फोन नम्बर 100, 1090 पर अथवा टेलीफोन नं0 9411112780 पर एस0एम0एस0 करें।"

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, समस्त प्रकार की यात्री वाहनों जैसे–बसों, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब, आटोरिक्षा एवं विक्रम वाहनों के अन्दर उक्त उक्ति को अनिवार्य रुप से अंकित कराये जाने सम्बन्धी आदेष परमिट षर्तो में सम्मिलित किया जाय तथा इन वाहनों के अन्दर अनिवार्य रुप से उपरोक्त उक्ति को अंकित कराया जाय।

<u>संकल्प सं0–38ः–</u> इस मद के अन्तर्गत श्रीमती रामवती सक्सेना के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से जारी स्थाई आटोरिक्षा परमिट सं0–3277 को निरस्त करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। श्रीमती रामवती द्वारा मा0 लोकायुक्त, उत्तराखण्ड के समक्ष दायर परिवाद सं0–231/10 में यह कहा गया है कि,

उनके परमिट को निरस्त कर दिया जाय। मा0 लोकायुक्त महोदय ने आदेष पारित किये हैं कि, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून से यह अपेक्षा की जाती है कि, वह इस सम्बन्ध में आवष्यक कार्यवाही करें। हरिद्वार केन्द्र से जारी आटोरिक्षा परमिट सं0–3277 जो दिनांक 26.05.12 तक वैध है, पर संचालित वाहन सं0– यूए08जे–5895 को परमिट धारक की षिकायत पर सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, हरिद्वार द्वारा दिनांक 28.09.09 को थाने में बन्द कर दिया गया है तथा परमिट इस कार्यालय को प्रेशित किया गया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, उपरोक्त परमिट को निरस्त कर दिया जाय।

संकल्प सं0–39(ए):– इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में स्वीकृत ऑटोरिक्षा परमिटों को फर्जी प्रपत्रों के आधार पर प्राप्त करने पर परमिटों के विरुद्ध धारा–86 की कार्यवाही के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में हरिंद्वार और रुडकी केन्द्रों से आटोरिक्षा परमिट अन्य षर्तो के साथ इस षर्त के साथ जारी किये गये थे कि, आवेदक के पास हल्का वाणिज्यिक वाहन चलाने का चालक लाइसेंस होना चाहिए। मद में वर्णित प्रार्थियों द्वारा परमिट प्राप्त करते समय अन्य राज्यों/सम्भागों द्वारा जारी किये गये लाइसेंस प्रस्तुत किये गये थे, जिनके आधार पर उनको आटोरिक्षा के परमिट जारी किये गये। परन्तु चालक लाइसेंसों का सत्यापन करने पर यह पाया गया है कि, इन आवेदकों द्वारा फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर परमिट प्राप्त किये गये हैं। फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर परमिट प्राप्त करने पर परमिट धारकों को धारा–86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये थे। बैठक में प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर परमिट धारकों द्वारा अवगत कराया गया कि, उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति से चालक लाइसेंस बनाये थे और उनको इसका ज्ञान नहीं था कि, यह लाइसेंस फर्जी हैं।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, फर्जी चालक लाइसेंस के आधार पर परमिट प्राप्त करने वाले मद में उल्लिखित सभी 12 परमिटों को निरस्त किया जाय।

(ध) (अ)–इस मद के अन्तर्गत श्री अजीत प्रताप सिंह, राश्ट्रीय सहारा, देहरादून ने विक्रम टैम्पों वाहनों के चालकों द्वारा निर्धारित से अधिक किराया लेने के सम्बन्ध में की गई षिकायतों के सम्बन्ध में निम्नलिखित मामलों को प्रस्तुत किया गया है। अधिक किराया लेने के सम्बन्ध में की गई षिकायत के सम्बन्ध में परमिट धारकों को धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये थे। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, निर्धारित से अधिक किराया लेने के सम्बन्ध में परमिट धारकों पर निम्न प्रकार प्रषमन षुल्क निर्धारित किया जाता है।

1.	टैम्पो–2915	यूए07एस–5845	रु0 1000/– प्रषमन षुल्क
2.	टैम्पो–3787	यूके07टीए–3638	रु0 1000/– प्रषमन षुल्क
3.	टैम्पो–3851	यूके07टीए–0614	रु0 2000/– प्रषमन षुल्क
4.	टैम्पो–3397	यूए07टी–6024	रु0 1000/– प्रषमन षुल्क
5.	टैम्पो–2976	यूके07टीए–0045	रु0 1000/– प्रषमन षुल्क
6.	टैम्पो–2539	यूके07टीए–3851	रु0 2000/– प्रषमन षुल्क
7.	टैम्पो–478	यूके07टीए–0638	रु0 1000/– प्रषमन षुल्क
8.	टैम्पो–2637	यूके07टीए–0840	रु0 1000/– प्रषमन षुल्क
9.	टैम्पो–2953	यूके07टीए–2234	रु0 1000/– प्रषमन षुल्क
10.	टैम्पो–2902	यूए07एम–3913	रु0 1000/– प्रषमन षुल्क
11.	टैम्पो–4039	यूके07टीए–0630	रु0 1000/– प्रषमन षुल्क
12.	टैम्पो–2672	यूए07टी–3511	रु0 2000/– प्रषमन षुल्क

(ब) इस मद के अन्तर्गत स्टैज कैरेज वाहनों के विरुद्ध की गयी निम्नलिखित षिकायतों के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है।

1– श्री कमल सिंह तोमर ने बस सं0–यूए07एफ–6285 के विरुद्ध षिकायत की है कि, बल्लुपुर चौक पर वाहन से उतरते समय चालक द्वारा वाहन को तेज गति से भगा दिया, जिससे उनका सिर पुस्ते

से टकरा गया तथा सडक पर गिरने से दाहिने हिस्से में दर्द है। इस सम्बन्ध में वाहन स्वामी को धारा–86 का नोटिस भेजा गया था, परन्तु उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, परमिट धारक पर रु0 5000/– प्रषमन षुल्क निर्धारित किया जाता है एवम् चालक के डी0एल0 के विरुद्व कार्यवाही कर प्राधिकरण को अवगत कराया जाय। षिकायतकर्ता को सूचित किया जाय कि, यदि वे चाहें तो, क्षतिपूर्ति हेतु उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं।

2– श्री रण सिंह, ने षिकायत की है कि, बस सं0–यूए07के–0146 के परिचालक द्वारा उनसे जीवनगढ गत्ताफैक्ट्री से छिबरो विधुत गृह तक रु0 25 प्रति यात्री के हिसाब से किराया लिया गया जबकि इतनी दूरी का किराया रु0 15 होता है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक ने कार्यालय द्वारा नोटिस के उत्तर में सूचित किया है कि, परिचालक ने कोटी डैम तक का किराया लिया गया था। जो कि सही है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, परमिट धारक द्वारा बताये गये तथ्यो का परीक्षण कराया जाये, यदि निर्धारित किराये से अधिक किराया वसूल किया गया हो, तो परमिट धारक पर रू0 2000/– प्रषमन षुल्क की वसूली की जाये ।

3– श्री गजपाल सिंह बिश्ट ने वाहन सं0–यूए07एम–3234 के विरुद्व षिकायत की है कि, बस के चालक ने आईएसबीटी से रिस्पनापुल तक का किराया 7 रु0 लिया, परन्तु टिकट नही दिया। वाहन स्वामी ने कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के सन्दर्भ में सूचित किया है कि, परिचालक द्वारा गलती की गई है। जिसके लिये क्षमा चाहते हैं।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, परमिट धारक पर रु0 2000/– प्रषमन षुल्क निर्धारित किया जाता है।

4– श्री गजपाल सिंह बिश्ट ने वाहन सं0–यूके07पीए–0277(सिटी बस) के विरुद्व षिकायत की है कि, रिस्पनापुल से आईएसबीटी तक दो सवारियों का किराया रु0 14/– लिया, परन्तु टिकट नही दिया। वाहन स्वामी ने कार्यालय द्वारा जारी नोटिस का वाहन स्वामी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, परमिट धारक पर रु0 5000/– प्रषमन षुल्क निर्धारित किया जाता है।

5– श्री सचिन कुमार ने षिकायत की है कि, वाहन सं0–यूके07पीए–0847 हरबर्टपुर से गुडरिच होते हुऐ मलूकावाला जाता है। इस मार्ग की चौडाई काफी कम है तथा मार्ग की स्थिति भी काफी खराब है। इस वाहन के सचांलन से मार्ग पर पैदल चलने वाले तथा साइकिल पर चलने वाले व्यक्तियों को परेषानी होती है व दुर्धटना का खतरा बना रहता है। षिकायत के सम्बन्ध में वाहन के स्वामिनी श्रीमती कामिनी टण्डन ने सूचित किया है कि उनकी वाहन विधुत निगम के कर्मचारियों को कुल्हाल से डाकपत्थर लाती ले जाती है। उनके वाहन के विरुद्व झूठी षिकायत की गई है। प्रत्येक परमिट धारक के लिये सडक सुरक्षा सुनिष्चित की जानी आवष्यक है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, परमिट धारक पर रु0 1000/– प्रषमन षुल्क निर्धारित किया जाता है।

6– श्री रविन्द्र प्रसाद खुगसाल ने षिकायत की है कि, वे बस सं–यूए07टी–6744 में टिकट लेकर बैठे, परन्तु बस के परिचालक ने राजपुर में यात्रियों को दूसरी वाहन सं0–यूके07पीए–0268 में स्थानान्तरित कर दिया, परन्तु इस बस के परिचालक द्वारा पुनः टिकट लेने के लिये कहा गया, जब उन्होंने पहली बस का टिकट दिखाया तो बस का परिचालन कहने लगा कि, आप नीचे उतर जाओ। वाहन सं0–यूके07पीए–0268 के स्वामी ने कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के उत्तर में सूचित किया है कि, उनकी वाहन सं0–यूके07पीए–0268 व यूए07टी–6744 के कर्मचारियों का आपसी मनमुटाव होने के कारण एक दूसरे की सवारी नहीं ले रहे थे, जिस कारण से षिकायतकर्ता के साथ कहासुनी हुई, उन्होंने वाहन के दोनों कर्मचारियों को हटा दिया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, गैर जिम्मेदार, अयोग्य व जनता के प्रति असंवेदनषील कार्मिक नियोजित करने से जनता को अनावष्यक असुविधा हुई है। अतः दोनों परमिट धारकों पर रु0 1000/– प्रषमन षुल्क निर्धारित किया जाता है।

(ण) इस मद के अन्तर्गत श्री अतुल कुमार के स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0–1874 पर संचालित बस सं0–यूके07पीए–0481 के विरुद्व धारा–86 की कार्यवाही हेतु मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। श्री अतुल कुमार की वाहन सं0–यूके07पीए–0481 का चालान दिनांक 27.04.10 को किया गया था तथा वाहन को बिना परमिट लालतप्पड नामक स्थान पर संचालित पाया गया था तथा वाहन के प्रपत्र भी चालक द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वाहन स्वामी के अनुरोध पर चालान को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, परमिट धारक पर निर्धारित प्रषमन षुल्क की वसूली सुनिष्चित की जाय।

(त) इस मद के अन्तर्गत प्रेमनगर–गुलरघाटी नगर बस सेवा मार्ग की बसों का संचालन पूरे मार्ग पर नहीं होने के कारण मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। पूरे मार्ग पर वाहन संचालित नहीं करने के सम्बन्ध में मार्ग के 16 परमिट धारकों को धारा–86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये थे, परन्तु किसी भी परमिट धारक का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, मद में उल्लिखित सभी 16 परमिट धारकों पर रु0 5000/–(प्रत्येक पर) प्रषमन षुल्क निर्धारित किया जाता है।

(द) इस मद के अन्तर्गत निम्नलिखित विक्रम टैम्पो परमिटों के विरुद्व मोटर गाडी अधिनियम, 1988 की धारा 86(ध) के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इन परमिट धारकों ने अपने परमिटों का नवीनीकरण सम्भागीय परिवहन कार्यालय सहारनपुर से कराने के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त करने के पष्चात इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर इन परमिटों का नवीनीकरण किया गया था, परन्तु सहारनपुर कार्यालय से छानबीन करने पर ज्ञात हुआ कि, उनके कार्यालय द्वारा परमिटों का नवीनीकरण नहीं किया गया है। इस प्रकार फर्जी सूचना प्राप्त कर परमिट धारकों द्वारा संदिग्ध दस्तावेज प्रस्तुत कर गलत तरीके से परमिटों का नवीनीकरण

किया गया है। इस सम्बन्ध में परमिट धारकों को नोटिस जारी किये गये थे। जिसके उत्तर में उन्होंने सूचित किया है कि, प्रष्नगत परमिट उनके नाम पर क्रमषः दिनांक 10.09.08 तथा 26.02'.09 में हस्तांतरित हुआ है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि, यदि पूर्व परमिट धारक द्वारा कोई अवैधानिक कार्य किया गया है तो, उसके लिये वे षुल्क जमा करने को तैयार हैं।

अतः मामले पर विचारोपरान्त निम्नानुसार आदेष पारित किये जाते हैं।

क्र0स0	**परमिट धारक का नाम**	**परमिट सं0 वैधता केन्द्र का नाम एव वाहन संख्या**	**टिप्पणी**
1	श्याम सिंह पाल	टैम्पो–1914 रुडकी केन्द्र वैध–24.03.09 यूके07टीए–0814	परमिट संख्या 1914 को निरस्त करते हुए रुडकी केन्द्र का नया विक्रम परमिट रुपया 10,000/–प्रषमन शुल्क के साथ स्वीकृत किया जाता है।
2	जहॉगीर	टैम्पो–1931 रुडकी केन्द्र वैध–07.06.09 यूके08टीए–0325	परमिट संख्या 1931 को निरस्त करते हुए रुडकी केन्द्र का नया विक्रम परमिट रुपया 10,000/–प्रषमन शुल्क के साथ स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त परमिट धारकों द्वारा वाहनों के पुराने परमिटों को जमा कराने के पष्चात वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर नया टैम्पो परमिट दिनांक 31.12.11 तक कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। भविष्य में एलपीजी/सीएनजी फिलिंग स्टेषन स्थापित हो जाने पर परमिट पर एलपीजी/सीएनजी चालित वाहन प्रतिस्थापित की जायेंगी।

(टप) इस मद के अन्तर्गत वाहन सं0–मार्ग सूची सं0–1 के परमिट सं0–3018 से आच्छादित बस सं0–यूपी07सी–7524 के विरुद्व धारा 86 की कार्यवाही हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। बस में कुल 56 सवारी(14 सवारी छत पर) ढोते हुऐ पाया गया है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, बस के परमिट को 03 महिने के लिये निलम्बित किया जाय अथवा निलम्बन का प्रषमन षुल्क रु0 9000/– निर्धारित किया जाता है।

(टप) इस मद के अन्तर्गत श्री दिनेष सिंह की दुर्घटनाग्रस्त वाहन सं0 यूए09–5396 के स्थाई मैक्सी कैब परमिट सं0–1643 के विरुद्व धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाहन सं0–यूए09–5396 दिनांक 08.07.10 को जाखणीधार नामक स्थान पर दुर्धटनाग्रस्त हो गई थी। दुर्धटना के फलस्वरुप वाहन स्वामी को धारा–86 का नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने सूचित किया है कि, उपरोक्त परमिट उन्होंने दिनांक 24.05.'11 को निरस्त करने हेतु जमा कर दिया है। प्राधिकरण ने उक्त परमिट को निरस्त करने के आदेष दिये हैं।

(टप) इस मद के अन्तर्गत हरिद्वार केन्द्र से जारी ऑटोरिक्षा परमिटों के विरुद्व मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 तथा 26.06.10 में हरिद्वार केन्द्र के लिये आटोरिक्षा परमिटों को इस षर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि, आवेदक बेरोजगार हों तथा उनके पास पूर्व में निर्गत कोई परमिट ना हो। मद में उल्लिखित 11 प्रार्थियों द्वारा इस आषय के षपथ पत्र दिये गये थे कि, उनके नाम पर पूर्व में जारी कोई परमिट नहीं है। षपथपत्र के आधार पर उनको आटोरिक्षा के परमिट जारी किये गये थे। जॉच करने पर यह पाया गया है कि, इन प्रार्थियों के नाम पर 02–02 वाहनें पंजीकृत हैं तथा पूर्व में भी परमिट एक परमिट जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में परमिट धारकों को धारा–86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था, परन्तु किसी भी परमिट धारक द्वारा नोटिस का उत्तर नहीं दिया गया। प्राधिकरण के बैठक के समय श्री अतीक अहमद पुत्र श्री षफीक अहमद, परमिट सं0–आटो 7088 एवम् श्री रियासत पुत्र श्री अजीज अली, परमिट सं0–आटो 7635 के

स्वामी उपस्थित हुए और अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया। प्रत्यावेदन का परीक्षण करने पर यह तथ्य प्रकट हुए कि, उपरोक्त आवेदकों द्वारा नियमानुसार प्राधिकरण की षर्तो के अनुरुप अपने परमिट प्राप्त किये गये हैं।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त दोनों परमिट को छोडकर षेश प्रार्थियों द्वारा मिथ्या षपथ पत्र प्रस्तुत कर प्राधिकरण की नीति के विरुद्व परमिट प्राप्त किये गये हैं। अतः मद में उल्लिखित षेश 09 परमिटों को निरस्त किया जाय।

(घ) इस मद के अन्तर्गत मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत एक ही अभियोग में एक वाहन के दो से अधिक चालान पाये जाने पर, परमिटों के विरुद्ध निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु मामलों को प्रस्तुत किया गया है। मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेष पारित किये जाते हैं।

क्र०सं०	स्वामी का नाम	परमिट संख्या व वाहन संख्या	कार्यवाही व निर्णय
1.	श्री जय सिंह गुंसाई	टैम्पो–3704 यूए07जे–9481	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 18000/– प्रषमन षुल्क
2	श्री दीपक	टैम्पो–4452 यूए07एन–7826	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 20000/– प्रषमन षुल्क
3	श्री राजकुमार	टैम्पो–2379 यूए07के–7620	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 20000/– प्रषमन षुल्क
4	श्री राजेश कुमार	टैम्पो–2328 यूके07टीए–0231	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 18000/– प्रषमन षुल्क
5	श्री बलबीर सिंह	टैम्पो–4538 यूए07के–7327	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
6	श्री सन्नी देयोल	टैम्पो–4229	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0

		यूए07–9993	15000/– प्रषमन षुल्क
7	श्री दीवान सिंह	यूपीकोपी–138 यूपी07के–9945	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
8	श्री भूपेन्द सिंह राना	यूपीकोपी–1140 यूके07सीए–2674	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
9	श्री हरीश चन्द्र	टैम्पो–4358 यूए07क्यू–9414	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
10	श्री विनोद कुमार	टैम्पो–4274 यूके07टीए–0631	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
11	श्री सुनील दत्त जोशी	यूपीकोपी–944 यूके07सीए–1264	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
12	श्री संदीप कुमार	टैम्पो–3531 यूए07पी–6943	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
13	श्री राजेन्द्र सिंह	टैम्पो–4427 यूके07टीए–1708	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
14	श्रीमती लक्ष्मी चौहान	टैम्पो–3869 यूए07टी–0905	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
15	श्री जयप्रकाश	टैम्पो–4012 यूए07जे–9480	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
16	श्री प्रेम प्रकाश	टैम्पो–4317 यूके07टीए–2283	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
17	श्री श्रवण कुमार	मैक्सी–1477	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0

	शर्मा	यूके07टीए–0773	18000/– प्रषमन षुल्क
18	श्री मनोज कुमार	आटो–3695 यूए08डी–9501	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
19	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान	यूपीकोपी–127 यूए07एफ–7284	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 18000/– प्रषमन षुल्क
20	श्री नरेन्द्र सिंह	टैम्पो–3552 यूपी07जी–3868	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 18000/– प्रषमन षुल्क
21	कंवल पती देवी	टैम्पो–2055	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
22	श्री चुन्नी लाल	टैम्पो–126 यूए07टी–2037	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
23	श्री नरेन्द्र सिंह	टैम्पो–3696 यूपी07जी–4692	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
24	मौ0 जावेद	टैम्पो–3649 यूए07एस–7924	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 18000/– प्रषमन षुल्क
25	श्रीमती कलावती	टैम्पो–3706 यूए07टी–4091	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
26	श्री मदन लाल	टैम्पो–3767 यूए07डी–0212	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
27	श्री जगन्नाथ सिंह	टैम्पो–4176 यूए07डी–3671	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
28	श्री सुनील कुमार	टैम्पो–3739 यूए07टी–7359	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क

29	श्री कमला देवी मठपाल	टैम्पो–3694 यूए07एन–8729	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
30	श्री प्रमोद कुमार	टैम्पो–3909 यूके07टीए–	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
31	श्री राजू जायसवाल	टैम्पो–1468 यूके07टीए–0818	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 18000/– प्रषमन षुल्क
32	श्री कृश्ण कन्हैया चौहान	टैम्पो–3710 यूके07टीए–0893	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
33.	श्री चन्दर प्रकाष कुमार	टैम्पो 4166 यूके07टीए–2799	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
34.	श्री राजेश सिंह	टैम्पो–1771 यूके07टीए–0230	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
35.	श्री सुभाष चन्द्र सब्बरवाल	टैम्पो–3628 यूए07क्यू–1368	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
36.	श्री ललित कुमार	टैम्पो 1727 यूपी07जी–7481	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 18000/– प्रषमन षुल्क
37.	श्री प्रमोद कुमार	टैम्पो–3904 यूके07टीए–0149	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
38.	श्री सुन्दर लाल	टैम्पो–188 यूए07क्यू–4919	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 18000/– प्रषमन षुल्क
39.	श्री मुन्नालाल	ऑटो–5362 यूए018बी–9659	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 18000/– प्रषमन षुल्क

40.	श्री मनीष कुमार	टैम्पो–4186 यूए07टी–5052	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
41.	श्री चन्दर प्रकार कुमार	टैम्पो–4166 यूके07टीए–2799	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
42.	श्रीमती उर्मिला	टैम्पो–2111 यूए07के–2734	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 18000/– प्रषमन षुल्क
43.	श्रीमती राजरानी	टैम्पो–1716 यूए07एन–4934	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
44.	श्री मोहन लाल	टैम्पो–4579 यूपी07जे–2422	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
45.	श्रीमती दीपा भट्ट	टैम्पो–3902 यूए07क्यू–7230	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
46.	श्री मनोज शर्मा	टैम्पो–3805 यूए07टी–4805	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
47.	श्री सोनू भटनागर	पीएसटीपी–3899 यूए07एन–1179	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
48.	श्री लाल सिंह	यूपीसीओपी–864 यूए07एल–3858	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क

उक्त चालानों को पूर्व में निस्तारित किये जाने हेतु जमा की गई धनराषि का समायोजन करते हुऐ षेश प्रषमन षुल्क जमा कराने हेतु दिनांक 31.12.11 तक का समय निर्धारित किया जाता है।

संकल्प सं0–40:– इस मद के अन्तर्गत श्री गुरुबचन सिंह पुत्र श्री संत सिंह, 19, गोविन्दगढ़, देहरादून द्वारा ऑटो रिक्षा परमिट सं0 1933 के स्वीकृत नवीनीकरण के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 में परमिट के नवीनीकरण का आदेष इस शर्त के साथ किया गया था कि, परमिट धारक द्वारा रु0 15000/– प्रषमन शुल्क जमा किया जायेगा तथा परमिट पर संचालित वाहन के स्थान पर नई पैट्रोल/एलपीजी चालित लगाने के पष्चात ही किया जायेगा। प्रार्थी ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं कराया है। अब उन्होंने निवेदन किया है कि, परमिट का नवीनीकरण किया जाय।

मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि, रु0 15000/– प्रषमन शुल्क जमा करने तथा नई वाहन पैट्रोल/एलपीजी के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.11 तक परमिट का नवीनीकरण करने की आज्ञा प्रदान की जाती है।

संकल्प सं0–41(अन्य मद):– इस मद के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों पर विचार किया गया।

1– इस मद के अन्तर्गत सैन्य कालोनी से आईएसबीटी–दून विष्वविधालय मार्ग पर संचालित 7/8 सीटर हल्की 4 पहिए वाली वाहनों के परमिटों का मार्ग विस्तार बंजारावाला तक करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पष्चात आख्या प्रस्तुत की है कि, स्थानीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु सैन्य कालोनी–दून विष्वविधालय मार्ग का विस्तार बंजारावाला तक किये जाने की संस्तुति की है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सैन्य कालोनी से आईएसबीटी–दून विष्वविधालय मार्ग का विस्तार बंजारावाला तक करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2– इस मद के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र सिंह चौहान की वाहन सं0–यूके07टीए–1325 के परमिट सं0–5976 के विरुद्व धारा–86 की कार्यवाही हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। श्री देवेन्द्र सिंह की वाहन का चालान सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौडी ने दिनांक 21.10.11 को धण्टाधर के पास इस अभियोग में किया गया है कि, चालक द्वारा नषे की हालत में गाडी चलाई जा रही थी। कार्यालय द्वारा जारी धारा 86 के नोटिस के

उत्तर में प्रार्थी ने यह सूचित किया है कि, प्रार्थी भविश्य में ऐसी गलती पुनः नहीं करने का आष्वासन देता है।

मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि, परमिट को 6 माह के लिये निलम्बन लिया जाय तथा निलम्बन का प्रषमन शुल्क रु0 10000/– निर्धारित किया जाता है।

3– इस मद के अन्तर्गत मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत एक ही अभियोग में एक वाहन के दो से अधिक चालान पाये जाने पर, परमिटों के विरुद्ध निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु मामलों को प्रस्तुत किया गया है। मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेष पारित किये जाते हैं।

क्र०सं०	स्वामी का नाम	परमिट संख्या व वाहन संख्या	कार्यवाही व निर्णय
1.	श्री सुरेष कुमार	यूपीकोपी–921 यूके07सीए–2120 यूटीलीटी	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 18000/– प्रषमन षुल्क
2	श्री करम सिंह	टैम्पो 4451 यूए07क्यू–3615	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 20000/– प्रषमन षुल्क

4– इस मद के अन्तर्गत डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये विक्रम टैम्पो परमिट जारी करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रार्थियों के प्रार्थनापत्र विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

1. श्री मकान सिंह पुत्र श्री बीरबल सिंह, 53 जौलीग्रान्ट, डोईवाला देहरादून।
2. श्री मेनपाल सिंह पुत्र श्री खचेडु, बापूग्राम, ऋशिकेष।
3. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रोषन सिंह, सारन्धरवाला, भोगपुर, रानीपोखरी, देहरादून।
4. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री वजीर चन्द, बापूग्राम, ऋशिकेष।

5. श्री अमित कुमार पुत्र श्री चन्द्रषेखर, 13 भोगपुर, रानीपोखरी, देहरादून।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये विक्रम टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को निम्नलिखित षर्तो के साथ स्वीकृत किया गया था।

1. परमिट से आच्छादित वाहन का संचालन डोईवाला में लच्छीवाला रेलवे पुल से से आगे देहरादून षहर की ओर, ऋशिकेष मार्ग पर नटराज चौक से आगे तथा हरिद्वार मार्ग पर नेपाली फार्म से आगे नहीं किया जायेगा। वाहन का संचालन डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जाएगा।
2. वाहनों का रंग हरा होगा तथा इन पर 05 इंच की सफेद पट्टी होगी जिसमें काले रंग से डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र अंकित होगा।
3. देहरादून जनपद का निवासी हो।
4. आवेदक के नाम अन्य कोई परमिट न हो।
5. आवेदक बेरोजगार हो।
6. आवेदक के पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।
7. परमिट 03 वर्श की अवधि से पूर्व हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा तथा आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत जारी परमिट आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।
8. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक, जिला प्रषासन द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।
9. मार्ग पर संचालित वाहनों मॉडल सीमा 10 वर्श होगी तथा 10 वर्श की आयुसीमा पूरी होने पर ऊँचे मॉडल की वाहन से प्रतिस्थापन किया जाएगा।"

उपरोक्त के पष्चात प्राधिकरण ने परिचालन पद्वति द्वारा 18 परमिट स्वीकृत किये गये थे। वर्तमान में डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये 76 विक्रम टैम्पो परमिट जारी किये गये हैं। उपरोक्त प्रार्थियों ने निवेदन किया है कि, उन्होंने बैंक से ऋण लेकर वाहनें क्रय की थीं, परन्तु प्रथम आगत–प्रथम निर्गत के सिद्वान्त पर स्वीकृत परमिट जारी हो जाने के कारण वे अपनी वाहनों के परमिट प्राप्त नहीं कर पाये हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि, उनको डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये विक्रम टैम्पो परमिट जारी किये जायें।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, प्रार्थियों द्वारा वाहनें क्रय करने के सम्बन्ध में सहा0 परिवहन अधिकारी, प्रषासन, देहरादून द्वारा परीक्षण कराया जाय तथा आख्या प्राप्त की जाय। आख्या प्राप्त हो जाने के पष्चात मामले को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

5– इस मद के अन्तर्गत निम्नलिखित आवेदकों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में हरिद्वार केन्द्र से स्वीकृत आटोरिक्षा परमिटो को जारी करने के मामले पर विचार किया गया।

क्र0स0	**आवेदक का नाम एवं पिता का नाम**	**वाहन संख्या**	**वाहन पंजीयन तिथि**
1	श्री सुन्दर पुत्र श्री गोपाल	यू0के0–08टीए– 2261	29.9.2010
2	श्री मुमताज पुत्र श्री अब्बास	यू0के0–08टीए– 2103	30.8.2010
3	श्री यामीन पुत्र श्री अब्दुल सामी	यू0के0–08टीए– 1927	27.8.2010
4	श्री किषन पुत्र श्री मित्रसेन	यू0के0–08टीए– 2235	22.9.2010
5	श्री धमेन्द्र पुत्र श्री ओम प्रकाष	यू0के0–08टीए– 2112	30.8.2010
6	श्री रूपक पुत्र श्री महेष चन्द्र	यू0के0–08टीए– 2143	30.8.2010
7	श्री पप्पू पुत्र श्री सेवा राम	पंजीयन हेतु आवेदन दि0 27.8.	

		2010	
8	श्री सुधीर पुत्र श्री तिलक राज	पंजीयन हेतु आवेदन दि0 27.8. 2010	

उपरोक्त प्रार्थियों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.6.2010 में हरिद्वार केन्द्र से आटोरिक्षा परमिट निम्न षर्तों के साथ परमिट स्वीकृत किये गये थे।

1– आवेदक स्थानीय निवासी हो, इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2– आवेदक के नाम अन्य कोई परमिट न हो।

3– आवेदक बेरोजगार हो।

4 –आवेदक के पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।

5– परमिट 03 वर्श की अवधि से पूर्व हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।

6– स्वीकृत परमिट दिनांक 31.08.10 तक नई आटोरिक्षा वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा,

तत्पष्चात् स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी।

उक्त आवेदको के पास हल्की वाहनो का वैध लाईसेंस न होने या लाईसेंस अन्य राज्य का होने के कारण यह आवेदक अपनी वाहनो के परमिट प्राप्त नही कर सके थे। इन आवेदको द्वारा प्राधिकरण के समक्ष यह निवेदन किया है, कि उनके द्वारा अब अपने एल0एम0वी0 (प्राईवेट) लाईसेंस बनवा लिये गये है, और व्यवसायिक लाईसेंस बनवाने हेतु आवेदन किया जा रहा है, इसलिये उनकी वाहनों को परमिट जारी कर दिया जाये। यह सभी वाहने वित्तपोशित है, और आवेदको के पास अन्य कोई रोजगार नही है। वाहनो का संचालन न होने से उनको आर्थिक हानि हो रही है, और फाईनेन्सर का कर्ज बढता जा रहा है ।

प्राधिकरण द्वारा इन बिन्दुओं पर विचार किया गया कि, आवेदकों द्वारा वाहनों को क्रय/पंजीयन किये हुये लगभग 01 वर्श से अधिक का समय हो चुका है, और परमिट न होने से वाहनो का संचालन नही हो पा रहा है। इसलिये आवेदकों की आर्थिक स्थिति एवं जनहित को ध्यान

मे रखते हुये आदेष दिये जाते हैं कि, इन आवेदको द्वारा यदि अव्यवसायिक लाईसेंस प्राप्त कर लिये है और व्यवसायिक लाईसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में सम्मलित हो गये हैं, तो उसका परीक्षण सचिव् संभागीय परिवहन प्राधिकरण अपने स्तर से करते हुये इन आवेदकों के पंजीकृत/पंजीयन हेतु आवेदन किये गये वाहनों को हरिद्वार केन्द्र का स्वीकृत आटोरिक्षा परमिट जारी करेंगे।

7– इस मद के अन्तर्गत नगर पालिका परिशद, नई टिहरी को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में स्वीकृत स्थाई स्टैज कैरेज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार किया गया। अध्यक्ष नगर पालिका परिशद, टिहरी ने अपने पत्र सं0–732/न0पा0प0टि0/सीटीबस/परमिट/2011–12 दिनांक 11.11.11 द्वारा निवेदन किया है कि, परिशद के अनुरोध पर मा0 सांसद महोदय द्वारा अपनी सांसद निधि के अन्तर्गत एक 37 सीटर बस नगर पालिका परिशद, टिहरी को उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने निवेदन किया है कि, जनता की मांग के दृश्टिगत नगर पालिका परिशद, टिहरी को इस बस के लिये परमिट निर्गत करने का कश्ट करें।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत करना है कि, प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में नगरपालिका परिशद, नई टिहरी को टिहरी नगर में कोटीकालोनी–भागीरथीपुरम–बौराडी–मौलधार–एम ब्लॉक–एफ ब्लॉक–एच ब्लॉक–जे ब्लॉक–के ब्लॉक–नई टिहरी–कोर्ट कम्पाउन्ड–चम्बा मार्ग के लिये 02 स्थाई स्टैज कैरेज परमिट स्वीकृत किये गये थे। नगर पालिका परिशद द्वारा स्वीकृत परमिटों में से 01 परमिट प्राप्त कर लिया गया था, परन्तु वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण दूसरा स्वीकृत परमिट अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। उन्होंने अब निवेदन किया है कि, अब बस उपलब्ध हो गई है। इस बस के लिये स्वीकृत परमिट जारी कर दिया जाय।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, नगर पालिका परिशद, टिहरी को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में स्वीकृत परमिट वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.11 तक जारी कर दिया जाय।

विजेन्द्र भण्डारी, ईष्वर सिंह नेगी, अजय सिंह नबियाल
(आई0ए0एस0) सदस्य सदस्य
अध्यक्ष
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण आयुक्त, गढ़वाल मंडल।
देहरादून । देहरादून।